न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00201 (201/2019) 225 आरटीएक्ट

आत्माराम पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी जाखड़ावली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। (राज0) – अपीलान्ट

बनाम

1. राधाकृष्ण पुत्र रामकरण जाति जाट निवीस जाखड़ावली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. निर्मलादेवी पुत्री रामकरण पत्नी बद्रीप्रसाद कड़वासरा जाति जाट निवासी जाति जाट निवासी जाखड़ावाली हाल मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. उप पंजीयक पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. आई.सी.आई.सी. आई. बैंक शाखा जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक। – रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलक्टर, पीलीबंगा दिनांक 14.10.2019 प्रकरण संख्या 90/2018 बअनवानी आत्माराम बनाम राधाकृष्ण आदि

श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट सं0 [illegible] की ओर से

श्री अजयपाल बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3, 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

Leave

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

<u>निर्णय</u> दिनांक – 25.02.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि चक 11 जैडडब्ल्यूडी के खाता संख्या 10/12 में 12.397 तथा चक 3 बीएचएमए के खाता संख्या 45/37 में 1.771 है0 भूमि प्रार्थी की माता के नाम है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा निहित है, जिसे प्रार्थी अच्छी व मन्दी के अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहात है। अप्रार्थी संख्या 2 के पति किसी अन्य व्यक्ति को वादग्रस्त आराजी खाता विभाजन करवाये बिना भूमि का बेचान करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी को रहन, बेय आदि द्वारा मुन्तकिल न करने व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने कथन कियाकि अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बनता है व अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें एक संयुक्त खातेदार दूसरे संयुक्त हिस्सेदार व खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार प्रार्थी नहीं है। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी के विरूद्ध ही आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अनुतोष याचित किया था परन्तु न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। वादग्रस्त आरजी को विवादों के निपटारे तक यथास्थिति बनाया रखना अति आवश्यक है जिससे वाद की अधिकता ना हो तथा पारिवारिक सम्पति का विवाद में स्थगन आदेश पारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाना अति आवश्यक था अगर वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बैय कर देता है तो वाद विवाद की स्थिति बढेगी कानूनी पेचिदगियों का सामना करना पड़ेगा। वाग्रसत आरजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जा काश्त में में चली आ रही है जिसे अच्छी मन्दी के अनुसार प्रार्थी खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी ने विभाजन के तथ्यों से इंकार नहीं किया हैं। खाता विभाजन से पूर्व कानूनन किसी अजनबी क्रेता को वादग्रस्त आराजी मे किसी भू भाग का हसतान्तरण नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूर्णीयक्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरी 2002 पेज 744, आरआरडी 2012 पेज 699, आरआरटी 2009 (1) पेज 141, आरआरडी 2010 पेज 96, आरआरटी 2014–15 पेज 96, आरआरटी 2013 (1) पेज 786, आरआरटी 2016 (2) पेज 1084, आरआरडी 2016 पेज 580 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी संयुक्त बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट का जितना हक हिस्सा है उतने हक हिस्से पर उसे स्थगन मिल चुका है तथा किसी खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा पाबन्द नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्तागण ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 (2) पेज 778 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्षों के मध्य खाता [illegible] है। वादग्रस्त आरजी का जिसे अच्छी मन्दी के अनुस[illegible] किया जाना है। उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण [illegible] में होना है। अगर वाद पत्र के निस्तारण से पूर्व आराजी के राजस्व [illegible]कार्ड एवं मौका की स्थिति में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकार का परिवर्तन आता है तो वाद की बहुलता बढेगी। ऐसी स्थिति में आरजी को विवाद के निपटारे तक यथास्थिति कायम रखना अति आवश्यक है जिससे वाद की अधिकता ना हो उभयपक्षों के अधिकार एवं प्रश्नगत भूमि सुरक्षित रहे । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2019 निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि वाद के निर्णय तक चक11जैड.डब्ल्यू.डी के खाता संख्या 10/12, खाता संख्या चुन्नी देवी आदि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में दर्ज 12.397 है0 तथा चक 3 बीएचएमए के खाता संख्या 45/36 खाता रामकरण जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 1.771 है0 आराजी को वाद के निर्णय तक रहन बेय व अन्तरित नहीं करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल शुमार हो, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 25.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

25/2/21

(करतारसिंह पूनीया)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested